राजस्थान-सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./एल.आर.सी./जी-3/डी.सी कोटा/ 5928-60 दिनांक 8/4/04

जिला कलक्टर (भू.अ.)
समस्त (राजस्थान) ।

विषयः- कम्प्यूटर में आ रही मिस नम्बर की समस्या के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः - मण्डल का पूर्व पत्र क्रमांक 9451-83 दिनांक 27.08.02 के क्रम में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन हैं कि राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 'क' में नक्शें में शुद्धि के प्रावधान हैं कि खेत के विभाजन होने पर उसका बटा नम्बर किस प्रकार दिया जावेगा, लेकिन यह देखा गया हैं कि इन प्रावधानों की कठोरता से पालना नहीं की जाकर अपनी सुविधा सें अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके से मिस नम्बर आदि अंकित कर दिये जाते हैं जिसमें खसरा नम्बर गलत तरीके से दर्ज कर दिया जाता हैं इस स्थिति के कारण कम्प्यूटर पर डेटा फीड करने एवं नकल लेते समय समस्यायें आ रही हैं।

इस समस्या के निराकरण के लिये मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9451-83 दिनांक 27.08.02 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि उपखण्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्राधिकार के समस्त गांवों के बटा नम्बर जो जमाबन्दियों में लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के प्रावधानों के अनुसार सही प्रकार से दर्ज नहीं हैं उन्हें संशोधित करने के नियमानुसार आदेश जारी कराने की एक माह में व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

रिसोर्स पर्सन्स के प्रशिक्षण के दौरान राजस्व मण्डल की जानकारी में यह लाया गया हैं कि एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत बटा नम्बर सही प्रकार से दर्ज करने की पालना की जावे तो उसके आदेश के तहत नामान्तरकरण बाद की तारीखों में होगा जिसका चालू जमाबन्दी में अमल कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा । यह तकनीकि गलती पिछली जमाबन्दियों से लगातार चली आ रही हैं । अतः पूर्व में एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिये गये आदेश को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही हैं।

मण्डल स्तर पर इस सम्बन्ध में पुर्नविचार कर यह निर्णय लिया गया हैं कि एल.आर. रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 166 के अनुसार शुद्धिपत्र के जारिये लागू कराना ज्यादा व्यवहारिक होगा, ताकि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही कराया जा सकें तथा कम्प्यूटर से सही प्रकार से जमाबन्दी तैयार हो सके तथा नकलें जारी करने में भी असुविधा न हो ।

अतः निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

मूल खसरा नम्बर जो सैटलमेन्ट के बाद विभाजित हो गये हैं तथा यदि उन्हे एल.आर. रेकार्ड रूल्स के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में सही प्रकार से बटा नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं तो उनके बटा नम्बर देने में एल.आर. रूल्स 1957 की 60 'क' की पालना अक्षरशः की जावे इसके साथ ही भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 166 के अनुसार शुद्धिपत्र भरकर भू-अभिलेख निरीक्षक से जांच कराकर राजस्व अधिकारी से स्वीकृत कराते हुये राजस्व मानचित्र में अंकित कर जमाबन्दी में जरीये शुद्धिपत्र अंकन करावें तथा कम्प्यूटर में भी साथ ही साथ सही प्रकार से दर्ज कराये जावें । इस कार्यवाही के सम्बन्ध में किये गये संशोधन से सम्बन्धित खातेदारों को सूचित भी किया जावें, ताकि इस प्रकार के संशोधन से खातेदार अवगत रहें इस बात की भी पुष्टी करली जावें कि मानचित्र (नक्शा लठ्ठा ड्रेस) व जमाबन्दी तथा खसरा गिरदावरी के बटा नम्बरांन में एक रूपता रहें ।

यदि इस प्रकार के प्रकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं और निर्णय नहीं हुआ हैं तो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय के प्रकरण वापिस लिये जाकर जरिये शुद्धिपत्र ठीक करते हुये उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को सूचित किया जावें । उक्तानुसार पालना एक माह में सुनिश्चित कर मण्डल को प्रगति से अवगत करावें ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः राम/सम/ दिनांक

प्रतिलिपीः-

1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ.,एन.आई.सी. कमरा नम्बर- 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, जयपुर ।

2 उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर ।

3 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

उप-निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

FILE: LRC,SS-4